

महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा  
आदेश

श्री विनोद कुमार, उप-अधीक्षक, मुख्यालय का दिनांक 27.05.2022 से 10.06.2022 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश हरियाणा सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2016 के उप-नियम 35 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है। श्री विनोद कुमार, उप-अधीक्षक के उक्त अर्जित अवकाश के दौरान पंचायती राज शाखा में श्री प्रिंस शर्मा, उप-अधीक्षक की अतिरिक्त तौर पर ड्यूटी लगाई जाती है।

चण्डीगढ़, दिनांक  
01.06.2022

धीरेन्द्र खड़गटा, आई०ए०एस०  
निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ए४-2022/58121-126

दिनांक 10/06/22


इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री मदन लाल गर्ग, संयुक्त निदेशक पंचायत-1।
2. श्री रणवीर सिंह सोढी, उप-निदेशक कानूनी।
3. अधीक्षक-कम-डी०डी०ओ०, मुख्यालय।
4. श्री विनोद कुमार, उप-अधीक्षक, मुख्यालय।
5. श्री प्रिंस शर्मा, उप-अधीक्षक, मुख्यालय।
6. आई.टी.सेल, मुख्यालय।

1  
24/6/22

SA-II  
Anil  
28/6/22

Rog



अधीक्षक(प्रशा०-1)

कृते: निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।